न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 663/2023

अनवान : –

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विरेन्द्र पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन सिचाई विभाग भादरा तहसील भादरा

प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के पूर्वजों की रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट गैमु0खाला , 1/2 की 0.026हैक्ट गै0मु0रास्ता , किला न0 1/3 की 0.202हैक्ट नहरी किला न0 2/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला , 2/2 की 0.0260हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 2/3 की 0.2020हैक्ट नहरी किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला , 3/2 की 0.0260हैक्ट गै0मु0रास्ता , 3/3 की 0.2020हैक्ट नहरी किला न0 8 ता 10/0.7590हैक्ट , कुल 1.3650हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में खाला नही था किन्तु वादीगण के पूर्वजां के समय की खातेदारी भूमि में प0न0 359/378(20) के किला न0 1 ता 3 प्रत्येक किला में 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला दर्ज कर दिया है तथा इन्ही किलों में रास्ता प्रत्येक किला में 0.0260हैक्ट रास्ता दर्ज किया गया है अर्थात रास्ता व खाला दोनो एक साथ एक ही किलों में दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्व था किन्तु अब वर्तमान में सिचाई विभाग के द्वारा नये खालों का निर्माण किया गया तो वादीगण के प0न0 359/378(20) किला न0 1 ता 3 में से खाला हटाकर अन्यत्र निर्माण करदिया और वादीगण काश्त करते चले आ रहे है इसलिये वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट 2/1 की 0.0250हैक्ट , किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला की भूमि [illegible] समजन करवाकर वादीगण की खातेदारी घोषित करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के प0न0 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट 2/1 की 0.0250हैक्ट , किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादीगण के वाद का जबाब पेश कर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे एव मौका रिपोर्ट की प्रति पेश की गई अधिशाषी अभियन्ता जल ससांधन खण्ड भादरा ने रिपोर्ट पेश की गई की प0न0 359/378(20) के किला न0 1 ता 3 में चक स्कीम के अनुसार खाला नही है रिपोर्ट शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादीगण के पूर्वजों की रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट गैमु0खाला , 1/2 की 0.026हैक्ट गै0मु0रास्ता , किला न0 1/3 की 0.202हैक्ट नहरी किला न0 2/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला , 2/2 की 0.0260हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 2/3 की 0.2020हैक्ट नहरी किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला , 3/2 की 0.0260हैक्ट गै0मु0रास्ता , 3/3 की 0.2020हैक्ट नहरी किला न0 8 ता 10/0.7590हैक्ट , कुल 1.3650हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में खाला नही था किन्तु वादीगण के पूर्वजां के समय की खातेदारी भूमि में प0न0 359/378(20) के किला न0 1 ता 3 प्रत्येक किला में 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला दर्ज कर दिया है तथा इन्ही किलों में रास्ता प्रत्येक किला में 0.0260हैक्ट रास्ता दर्ज किया गया है अर्थात रास्ता व खाला दोनो एक साथ एक ही किलों में दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्व था किन्तु अब वर्तमान में सिचाई विभाग के द्वारा नये खालों का निर्माण किया गया तो वादीगण के प0न0 359/378(20) किला न0 1 ता 3 में से खाला हटाकर अन्यत्र निर्माण करदिया और वादीगण काश्त करते चले आ रहे है इसलिये वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट 2/1 की 0.0250हैक्ट , किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला की भूमि का कलमजन करवाकर वादीगण की खातेदारी घोषित करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों मौका रिपोर्ट एव सिचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यहकों के सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर, मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रस्तुत जमाबन्दी रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट गैमु0खाला , 1/2 की 0.026हैक्ट गै0मु0रास्ता , किला न0 1/3 की 0.202हैक्ट नहरी किला न0 2/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला , 2/2 की 0.0260हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 2/3 की 0.2020हैक्ट नहरी किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला , 3/2 की 0.0260हैक्ट गै0मु0रास्ता , 3/3 की 0.2020हैक्ट नहरी किला न0 8 ता 10/0.7590हैक्ट , कुल 1.3650हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि नई चक स्कीम के अनुसार सिचाई विभाग के द्वारा रोही मोजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के प0न0 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट 2/1 की 0.0250हैक्ट , किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला स्वीकृत नही किया जाकर अन्य जगह पर पक्के खालो का निर्माण किया जाकर उक्त किलो में खाला निरस्त किया जा चुका है सिचाई विभाग के रिकार्ड अनुसार उक्त खाला स्वीकृत नही है।

सिचाई विभाग की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया की रोही मोजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के प0न0 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट 2/1 की 0.0250हैक्ट , किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला स्वीकृत नही है सिचाई विभाग की रिपोर्ट से वादी के कथनों की पूष्टि होती है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी रोही मोजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के प0न0 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट 2/1 की 0.0250हैक्ट , किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट में मौके पर कोई खाला नही उक्त भूमि वादीगण के द्वारा काश्त की जा रही है मौक पर खाता अन्य जगह पर चल रहा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से भी वादी के कथनों की पुष्टि होती है।

इसप्रकार सिचाई विभाग की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नोहरी की मौका रिपोर्ट अनुसार रोही मोजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के प0न0 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट 2/1 की 0.0250हैक्ट , किला न0 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला स्वीकृत नही है ना ही मौके पर खाला चल रहा है उक्त भूमि वादीगण के द्वारा काश्त की जा रही है उक्त रिपोर्ट से वादी के कथनों की पूष्टि होने से वादी का वाद साबित होता है।

उक्त किलो की वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 खलाा दर्ज है। गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 609 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के द्वारा पर्चा खतौनी अर्थात आवंटन होने के साक्ष्य का साक्ष्य पेश किया गया है जिसके अनुसार वादीगण के पूर्वजों को रोही मोजा चक 5 जेएसएन के प0न0 359/378(20) किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 पुख्ता दर्ज की गई भूमि के विवरण से पूर्णत्या साबित है एवं वादी के द्वारा पर्चा खतौनी की प्रति पेश की गई है जिसमें किला न0 1 ता 3 में दर्ज गै0मु0 खाला की भूमि को वादी के खाते में दर्ज किया गया है अर्थात आवंटन होने के बाद खाला की आवश्यकता होने पर वादी के खाते में ही खाला दर्ज किया गया है।

वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार मौका पर खाला का निर्माण नही है ना ही मौका पर कोई खाला नही है जब सिचाई विभाग के द्वारा खाला निरस्त किया जा चुका है इसलिये वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला के लिये कम की गई भूमि को पूनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के प0न0 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक 2/1 की 0.0250हैक , किला न0 3/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला खाला के अंकन को निरस्त किया जाकर वादीगण के खाते में मुमकिन बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संशोधन की जावे । व्यय वार्द उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 184/2022
अनवान : –

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विरेन्द्र पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन सिचाई विभाग भादरा तहसील भादरा

असल प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 663 सन 2023 निर्णय दिनांक-01/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 के प0न0 359/378(20) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक 2/1 की 0.0250हैक , किला न0 3/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला खाला के अंकन को निरस्त किया जाकर वादीगण के खाते में मुमकिन बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संशोधन की जावे । व्यय वार्द उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:22 IST
Reason: SelfAttested